



# CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक / छस्वावितवि / सू.प्र. / 16 / 1456

भिलाई, दिनांक : 30.5.16

प्रति,

प्राचार्य

(समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / पालीटेक्निक संस्थाएँ )

.....  
.....

**विषय:** राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण एवं विश्वविद्यालय स्थानांतरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत इंजीनियरिंग के तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में कॉलेज स्थानांतरण के लिये T1 एवं T2 विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2016 निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

Internal Counselling की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही छात्रों को T2 प्रदान किया जावे।

राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2016 निर्धारित की जाती है।

कुलसचिव-16  
छस्वावितवि, भिलाई

**प्रतिलिपि :**

1. संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. प्र. उपकुलसचिव, (परीक्षा विभाग) छस्वावितवि, भिलाई,
3. निज सहायक, मान. कुलपति,
4. मास्टर फाइल।

North Park Avenue, Sector-8, Bhilai (C.G.) 490 009

Ph. No.: 0788-2261311, Fax No.: 0788-2261411, Website: www.csvtu.ac.in, E-mail: registrar@csvtu.ac.in



**DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH**

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष भवन, ब्लाक-3, तृतीय/चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

Phone : 0771- 2221376, Website : <http://www.cgdteraipur.ac.in>, Email-info@cgdteraipur.ac.in

क्र./शैक्ष/तक.शि./2015/ 2824

रायपुर, दिनांक 14.9.2015

प्रति,

✓ कुलसचिव

छ.ग.स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय  
भिलाई (छ.ग.)

- विषय :- राज्य के बाहर निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का छत्तीसगढ़ राज्य के निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्थानांतरण हेतु अनापत्ति बाबत।
- संदर्भ :-
- 1- छ.ग.स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का पत्र क्रमांक 2342/छगस्वातविवि/सूचना /2015 दिनांक 09.09.2015
  - 2- छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 9-37/2014/तक.शि./42 दिनांक 06.08.2015

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्रमांक-1 के माध्यम से छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के अनुसार छ.ग. राज्य के बाहर निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अध्ययनरत श्री आदित्य विक्रम जोशी के छत्तीसगढ़ राज्य के निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के अन्य राज्य से स्थानांतरण नीति के अनुसार होने के कारण स्थानांतरण हेतु निम्न शर्तों के अनुसार अनापत्ति दी जाती है :-

1. संदर्भित पत्र क्रमांक-2 के माध्यम से शासन द्वारा स्थानांतरण नियमों में संशोधन किया गया है।
2. स्थानांतरण मात्र तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में ही किए जाएंगे। संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा स्थानांतरण के समय पूर्व सभी सेमेस्टर्स की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। T3 जारी करने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा इसकी भली-भांति तस्दीक की जाए।
3. आवेदित संस्था तथा संस्था जिसमें छात्र/छात्रा अध्ययनरत है, दोनों संस्थाओं की ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता आवश्यक है।
4. वर्तमान में छात्र/छात्रा जिस संस्था में अध्ययनरत है, उस संस्था में छात्र के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/रैगिंग संबंधित कार्यवाही लंबित न हो। T3 जारी करने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा इसकी भली-भांति तस्दीक की जाए।
5. छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षाएं तथा उनके पाठ्यक्रम की समतुल्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाए।
6. स्थानांतरण हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा विधिसम्मत प्रकार से किया जाए।
7. छात्र/छात्रा की अन्य अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रयुक्त नियम एवं प्रवेश नियम लागू होंगे।
8. अन्य विधिसम्मत तथा नियमसम्मत तस्दीक एवं कार्यवाही, जो विश्वविद्यालय उचित समझे।



आयुक्त सह-संचालक

कुलसचिव वरिष्ठ  
09/09  
2015

Mr. Chandrasekar,  
23.9.15

68 mb / Action  
4/8/15

छत्तीसगढ़ शासन  
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9-37/2014/तक.शि./42  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 6/8/2015

आयुक्त-सह-संचालक  
तकनीकी शिक्षा संचालनालय  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :- तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति में संशोधन बाबत।

—0—


राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.9.2014 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के पत्र क्रमांक /छस्वावितवि/प्रशा./2015/1946, 1948, एवं 156-R, दिनांक 29.7.2015 द्वारा दी गई सहमति अनुसार अन्य राज्य के तकनीकी संस्थाओं से राज्य में संचालित तकनीकी संस्थाओं में स्थानांतरण करने एवं बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्थाओं में समायोजन करने हेतु तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण करने के संबंध में पूर्व प्रचलित नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.	पूर्व प्रचलित नीति	संशोधन
1.	<p>5(i) अन्य राज्यों की शासकीय तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य के शासकीय संस्था में स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर छ.ग. राज्य के छात्रों की प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा।</p> <p>5(ii) अन्य राज्यों के छात्रों का एआई सीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य में तथा छ.ग. राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त नीति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा</p>	<p>(i) अन्य राज्यों की तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य की शासकीय संस्था में स्थानांतरण नहीं हो सकेंगे।</p> <p>(ii) अन्य राज्यों की एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य की स्वशासी - स्ववित्तीय एवं निजी संस्था में स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण हो सकेंगे।</p> <p>(iii) अंतर्राज्यीय स्थानांतरण के समय छात्रों को पूर्व सेमेस्टर्स की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।</p> <p>(iv) स्थानांतरण के लिये छात्र को संबंधित दोनों संस्थाओं एवं वर्तमान विश्वविद्यालय, जहाँ वह अध्ययनरत है, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के संबंधित विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। वांछित संस्था में वांछित ब्रांच में स्थान रिक्त होने की स्थिति में</p>

(हस्ताक्षर)

		<p>छत्तीसगढ़ के संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु तकनीकी शिक्षा संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। तकनीकी शिक्षा संचालनालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा T-3 जारी किया जावेगा।</p> <p>(v) अंतर्राज्यीय स्थानांतरण मामलों में विवाद की स्थिति में प्रकरण पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा।</p> <p>(vi) राज्य स्तर के स्थानांतरण पश्चात् सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के छात्रों का स्थानांतरण उपरोक्त नियमानुसार किया जावेगा। अन्य राज्यों के छात्रों के स्थानांतरण में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।</p>
2.	<p>पूर्व प्रचलित नियम में संस्था बंद होने की दशा में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्था में समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है।</p>	<p>छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित तकनीकी संस्था बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य तकनीकी संस्था में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किया जावेगा। स्थानांतरण अन्य संस्था की रिक्त सीटों के विरुद्ध किसी भी सेमेस्टर में जिसके लिए छात्रों की पात्रता है, किया जावेगा। ऐसे समायोजन के लिए छात्रों के पिछली परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के संबंध में कोई बंधन नहीं होगा। स्थानांतरण द्वारा समायोजन की कार्यवाही नियमित स्थानांतरण संपन्न होने के पश्चात् की जावेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व घोषित तिथि में कॉउंसिलिंग आयोजित की जावेगी। कॉउंसिलिंग के लिए मेरिट निर्धारण की शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा तय की जावेगी।</p>

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अमृतलाल लिखार)

अवर सचिव

 दूरभाष-0771-2510140

पृष्ठां क्रमांक एफ 9-37/2014/तक.शि./42,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर दिनांक /8/2015

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
  2. कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, जिला दुर्ग
  3. प्राचार्य, समस्त शासकीय/निजी/इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक/कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाएं, छत्तीसगढ़
  4. मास्टर फाईल तकनीकी शिक्षा विभाग
- सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अमृतलाल लिखार)

अवर सचिव

दूरभाष-0771-2510140



DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़  
Indrawati Bhavan, Block-3, 3rd /4th Floor, Naya Raipur - 492002  
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-3 तृतीय/चतुर्थ-तल, नया रायपुर, 492002

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdterapur.ac.in

08 mfo  
19-9-14

क्रमांक / 2014 / शैक्ष / 2369

नया रायपुर, दिनांक 18/09/2014

प्रति,

कुल सचिव,  
छ.ग.स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय  
नार्थ पार्क एवेन्यु, सेक्टर-8,  
भिलाई, छ.ग.।

विषय:- राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रॉच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में।

संदर्भ:- छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, के पत्र क्र/एफ 9-37/2014/तक.शि./42 नया रायपुर दिनांक 18.09.2014

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें राज्य शासन एतद् द्वारा, राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रॉच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में पूर्व प्रचलित नीति में संशोधन की सहमति प्रदान की गई है।

अतः शासन से प्राप्त सहमति अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

oc

पृ.क्रमांक / 2014 / शैक्ष / 2370

प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्राचार्य, शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/शासकीय एवं निजी पॉलीटेक्निक संस्थाएँ छ.ग.।

आयुक्त सह संचालक  
तकनीकी शिक्षा, छ.ग.  
नया रायपुर, दिनांक 18/09/2014

आयुक्त सह संचालक  
तकनीकी शिक्षा, छ.ग.

oc

JD (Acad.)  
1819  
दिनांक

छत्तीसगढ़ शासन  
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : एफ 9-37/2014/तक.शि./42

नया रायपुर दिनांक 18.9.14

प्रति,

आयुक्त-सह-संचालक  
तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़,  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।

विषय:- राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारण।

---000---

राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में पूर्व प्रचलित नीति में निम्नानुसार संशोधन बाबत सहमति प्रदान करता है:-

क.	पूर्व प्रचलित नीति	संशोधन
1.	एक पॉलीटेक्निक से दूसरे पॉलीटेक्निक में स्थानांतरण द्वितीय वर्ष में एवं एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय से दूसरे इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थानांतरण द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में किया जाना उल्लेखित था।	एक पॉलीटेक्निक से दूसरे पॉलीटेक्निक में स्थानांतरण तृतीय सेमेस्टर में एवं एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय से दूसरे इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थानांतरण तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में किया जाएगा।
2.	अनुत्तीर्ण छात्रों का स्थानांतरण और ब्रांच परिवर्तन किया जाना उल्लेखित था।	(1) पॉलीटेक्निकों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण एवं ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 2) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है और पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
3.	स्थानांतरण के लिए संचालनालय द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र T-3 जारी किया जाता था।	स्थानांतरण के लिए संचालनालय के स्थान पर विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र T-3 जारी किया जाएगा।
4.	पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच	(1) पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन/

<p>परिवर्तन/स्थानांतरण किन ब्रांचों में हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं था।</p>	<p>स्थानांतरण निम्न ब्रांचों में होगा :-  (अ) वीई (बायोटेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम के लिए को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।  (ब) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Civil/Mechanical/Electrical/Metallurgical/Instrumentation/Mining/Chemical Engineering में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।  (स) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Computer Science &amp; Engineering और Information Technology में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।  (2) पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन/स्थानांतरण निम्न ब्रांचों में होगा :-  (अ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Electronics &amp; Telecommunication Engineering में/से ब्रांच परिवर्तन नहीं होगा।  (ब) नॉन पीपीटी डिप्लोमा, फार्मसी पाठ्यक्रमों तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में ब्रांच परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।</p>
<p>5. किसी पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय अथवा किसी पाठ्यक्रम के बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का अन्यत्र संस्था में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था।</p>	<p>किसी पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय अथवा किसी पाठ्यक्रम के बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का अन्यत्र संस्था में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किया जाएगा।</p>
<p>6. ट्यूशन फीस वेवहर एवं Lateral Entry के अंतर्गत प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों को स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन के लिए शामिल न किये जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं था।</p>	<p>ट्यूशन फीस वेवहर एवं Lateral Entry के अंतर्गत प्रवेश स्वीकृत क्षमता के Over and Above किये जाते हैं। अतः इनकी रिक्त रह गई सीटों को स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन के लिए शामिल नहीं किया जायेगा।</p>

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(याकुब खैर) 14  
उप सचिव

दूरभाष :- 0771-2510015

al

क्रमांक : एफ 9-37/2014/तक.शि./42

नया रायपुर दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
2. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
3. कुल सचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई।
4. प्राचार्य, समस्त शासकीय/निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक संस्थाएँ, छत्तीसगढ़
5. मास्टर फाईल

(याकुब खेस्स)  
उप सचिव

दूरभाष :- 0771-2510015